

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक-05/07/2018

संख्या-14/प्रो०-102/2017-8957/सा०प्र०-बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान बैंड वेतन ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स वेतन स्तर-13) के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-01.04.2016 के आलोक में अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान बैंड वेतन ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,900/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स वेतन स्तर-13ए.) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से सशर्त स्थानापन्न औपबंधिक प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	2011 का कोटि क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री आमोद कुमार शरण	530	अपर समाहर्ता, अररिया।
2.	श्री संजय कुमार उपाध्याय	531	अपर समाहर्ता, समस्तीपुर।
3.	श्री राकेश मोहन	532	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
4.	श्री अखिलेश कुमार झा	533	अपर समाहर्ता, सुपौल।
5.	श्री मो० अंसार अहमद	534	अपर समाहर्ता, प०च०, बेतिया।

- यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।
- उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिये अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्कृष्टित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- उपर्युक्त नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।
- उपर्युक्त प्रोन्नति विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7457 दिनांक-11.09.02 के कंडिका-2 (vi) में निहित प्रावधान के आलोक में दी जा रही है। अतः मुहरबंद लिफाफे से संबंधित पदाधिकारी को दोषमुक्त हो जाने की स्थिति में उक्त स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत कनिष्ठतम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार पदावनत (रिक्ट) किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-14/प्रो०-102/17-8957/सा०प्र०

पटना-15, दिनांक-05/07/2018

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव।